बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

का०आ०सं०-फ०बी०यो०-01-02/2014/ 202 /पटना, दिनांक- 08अगस्त, 2014

कार्यालय आदेश

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राज्य में कृषि सांख्यिकी के अतिरिक्त वर्षापात प्रतिवेदन, जीवनांक एवं अनेक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण यथा आर्थिक गणना, औद्योगिक गणना, कारा सांख्यिकी, औद्योगिक उत्पादन गणना आदि किये जाते हैं। इसके कार्यान्वियन हेतु योजना एवं विकास विभाग के पदाधिकारी प्रखण्ड स्तर, जिला स्तर एवं प्रमण्डल स्तर पर विधिवत कार्यालय में कार्यरत हैं। प्रखण्ड स्तर से नीचे स्तर पर आँकड़ें विभिन्न विभागों में पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मी यथा ग्राम पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका सह जन्म-मृत्यु उप निबंधक, जन सेवक (कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारी/कर्मी) से प्राप्त कर संकलित कर मुख्यालय स्तर पर सांख्यिकी एवं अर्थ निदेशालय को उपलब्ध कराये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि आँकड़े जिस समय उपलब्ध होते है, ससमय आँकड़ों का संग्रहण कर तुरन्त ही निदेशालय को भेजने का प्रावधान है। इसे समय पर नहीं भेजने के कारण कई वार उन आँकड़ों का सत्यापन कराने में कठिनाई के साथ-साथ आँकड़ों के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते है। अत: कृषि सांख्यिकी से संबंधित विश्वसनीय एवं Real Time आँकड़ों के प्राप्ति हेतु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जिला एवं मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निदेशालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष पुनाईचक स्थित ऑफिसर्स फ्लैट- एम-4 में स्थापित किया जायेगा।

सामान्य रूप से निम्न रूप से कृषि आँकड़ें संग्रहण का समय मौसमवार फसलों की बुआई एवं कटनी का समय सारणी निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मौसम का नाम	फसलों का नाम	कटनी का समय
1	भदई (1 जुलाई से 15 सितम्बर तक)	धान	सितम्बर-अक्टूबर
		मकई	सितम्बर-अक्टूबर
		ईख	नवम्बर-अप्रैल
		मूंग	सितम्बर-अक्टूबर
		जूट	जुलाई-सितम्बर
		मेस्ता	अगस्त-सितम्बर
		रागी(मडुआ)	सितम्बर-अक्टूबर
2	अगहनी (16 सितम्बर से 30 नवम्बर तक)	धान	नवम्बर-दिसम्बर
3	रब्बी (1 दिसम्बर से 31 मार्च तक)	गेहूँ	15 मार्च- अप्रैल
		चना	मार्च-अप्रैल
		मकई	मार्च-अप्रैल
		तूर(अरहर)	दिसम्बर-अप्रैल
		मसूर	मार्च-अप्रैल
		राई-सरसो	जनवरी-मार्च
		जौ	मार्च-अप्रैल
		खेसारी	मार्च-अप्रैल

9- Ranjan....06.08.14

4	गर्मा (1 अप्रैल से 30 जून तक)	मूंग	मई-जुलाई
		मकई	जून-जुलाई
		धान	जून-जुलाई

(ख) जीवनांक प्रतिवेदन मासिक प्राप्त किये जाते हैं एवं प्राय: प्रत्येक माह के 1 तारीख से 10 तारीख तक प्राप्त किये जाते हैं।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण आँकड़े अभियान तौर पर एक निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त किये जाते हैं।

अत: इन आँकड़ों के ससमय प्राप्त करने हेतु निदेशालय स्तर पर नियंत्रण कर स्थापित किया जाता है। इसके प्रभार में निम्न पदाधिकारी हैं:-

1. वरीय संयुक्त निदेशक(कृषि सांख्यिकी)- अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक/कनीय सांख्यिकी सहायक(प्रभारी)
3. सहायक निदेशक-जीवनांक

उक्त हेतु मुख्यालय/निदेशालय का सम्पर्क निम्न प्रकार होगा:-
वेबसाईट - http:/dse.bih.nic.in, E-mail- dir-stat-bih@nic.in
दूरभाष संख्या:- 0612-2280322, फैक्स सं०:-

2. उक्त नियंत्रण कक्ष कार्यालय अवधि के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यरत रहेगा, जिसमें दो कनीय सांख्यिकी सहायक प्रतिनियुक्त रहेंगे। नियंत्रण कक्ष में एक पंजी संधारित की जायेगी जिसमें जिलों से किये जाने वाले संवादों एवं प्राप्त प्रतिवेदनों/सूचनाओं का तिथिवार/समयवार संक्षिप्त उल्लेख रहेगा। नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मी प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर उप निदेशक(कृषि)/वरीय संयुक्त निदेशक के माध्यम से निदेशक को प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही सप्ताहान्त में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वैसे कर्मी जिन्हें असंतोषप्रद कार्य के लिए दोषी पाया गया हो, की सूची के साथ एक समग्र प्रतिवेदन तैयार कर उप निदेशक(कृषि)/वरीय संयुक्त निदेशक के माध्यम से उनके मंतव्य के साथ निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. निदेशालय स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा मुख्यत: दैनिक वर्षापात (1 जून से 10 अक्टूबर तक) तथा भदई मकई, अगहनी धान एवं रब्बी गेहूँ के फसल कटनी प्रयोग के सभी कार्य-कलापों यथा- फसल कटनी प्रयोग आयोजन सूची, कटनी, निरीक्षण, अनुसूचियों की प्राप्ति इत्यादि का समय-सीमा के अन्दर क्रियान्वयन की अद्यतन सूचना प्राप्त की जायेगी। साथ ही कृषि सांख्यिकी अन्तर्गत किये जाने वाले अन्य कार्यो यथा- मौसमी जिन्सवार, द्रुत सर्वेक्षण, फसल सांख्यिकी सुधार के प्रतिवेदनों के प्रेषण की सूचना जिलावार प्राप्त की जायेगी। मुख्यालय स्तर पर कृषि संबंधी प्रशाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्ति कर्मी को कृषि सांख्यिकी संबंधी प्रतिवेदनों की समय-सीमा विवरणी उपलब्ध करायी जायेगी। नियंत्रण कक्ष में जिला से प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पंजी में संधारित किय जायेगा।
4. मुख्यालय स्तरीय नियंत्रण कक्ष में श्री प्रभाकर कुमार, कनीय सांख्यिकी सहायक, वर्षापात प्रशाखा एवं श्री प्रभात रंजन अम्बष्ठ, कनीय सांख्यिकी सहायक, फसल कटनी प्रशाखा को अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।
5. जिला स्तर पर 'जिला सांख्यिकी नियंत्रण कक्ष' निम्न रूप से कार्यरत रहेगी। जिसके प्रभार में निम्न पदाधिकारी होंगे:-

(क) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

9- Ranjan....06.08.14

(ख) सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/कनीय सांख्यिकी सहायक

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्रतिदिन प्रखण्ड में पदस्थापित कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित कर sms/e-mail/मोबाईल के माध्यम से अचूक रूप से प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा इस प्रकोष्ठ में कार्य करने हेतु एक कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एतद् संबंधी सूचना एवं प्रतिनियुक्त कार्यालय कर्मी का नाम दूरभाष एवं मोबाईल नं० सहित निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। प्रतिनियुक्त कर्मी द्वारा इस कार्य से संबंधित क्षेत्रीय कर्मियों/कार्यालयों से दूरभाष/मोबाईल द्वारा सम्पर्क कर दैनिक वर्षापात (1 जून 10 अक्टूबर तक), सभी मौसमों के फसल कटनी प्रयोगों तथा अन्य सभी कृषि कार्यो की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पंजियों में संधारित करेंगे एवं मुख्यालय स्तर से दूरभाष पर मांगे गये सूचनाओं/आँकड़ों को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी संबंधी कार्य/आँकड़ों के समय-सीमा के अन्दर प्राप्ति हेतु जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा सुनिश्चित व्यवस्था किया जायेगा।

निदेशालय स्तर पर प्रतिदिन जिलावार प्रतिवेदनों की स्थिति से संबंधित विवरणी प्रभारी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक प्रभारी द्वारा तैयार कर निदेशक, सांख्यिकी के समक्ष उपलब्ध करायेंगे एवं साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शुक्रवार को सचिव, योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। जिन पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिवेदन भेजने में शिथिलता बरती जायेगी उनके विरूद्ध जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/नियंत्रण कक्ष के प्रभारी संयुक्त निदेशक के प्रतिवेदन के आधार पर त्वरित एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। प्रमंडल स्तर पर उप निदेशक, सांख्यिकी प्रतिदिन यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र के उपरोक्त डाटा निदेशालय को सही तथ्यों के आधार पर तैयार कर भेजी जाय एवं इसका दैनिक पर्यवेक्षण करेंगे।

आपातकालीन/फैलीन तूफान/मूसलाधार वर्षा के समय सभी नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर सचिव, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

08/08/14

निदेशक

ज्ञापांक:- 1125 /पटना, दिनांक:- 08-08-14

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी वरीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक(कृषि), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/संबद्ध कर्मी को सूचनार्थ।
3. वरीय अनुसंधान पदाधिकारी-सह-आहरण एवं व्ययन, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/08/14

निदेशक

9- Ranjan....06.08.14

07/08 07/8